

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, धनबाद।

सम०पी०केस० 1456 /2013.

धारा-133 दं०प्र०सं०।

श्रीमती सुवर्णी देवी-
वकाय
दिनेश सिंह

6-11-13

आवेदक ने एक आवेदन देकर अनुरोध किया है कि विपक्षी जिला धनबाद, थाना सरायटेला, मौजानं०-8, सरायटेला, खतानं०-38, प्लॉटनं०-1902 रकबा 143x10 फीट करीब, जिसकी चौहद्दी-उ०-कार्मिक नगर रोड, द०-रोड, पू०-भावान सिंह का बिल्डिंग, प०-मकान विपक्षी का, जो आम सड़क है, जिससे पर घर का दूषित पानी गिराता है। जिससे प्रथम पक्ष एवं आमजनता को अवागमन में असुविधा होती है। इस विषय वस्तु को लेकर पक्षों में तनाव है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि दिनांक-19-11-13 को 10.00बजे पूर्वा० में अधोदस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कारणपृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध धारा-133 दं०प्र०सं० की कार्यवाही प्रारंभ की जाय।

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
धनबाद।